ASSOCIATION OF SELF-FINANCING UNIVERSITIES OF RAJASTHAN

Jagatpura, JAIPUR-302 025 (Rajasthan)

Managing Committee :

President
Vinod Kumar D. Tibrewala

Vice - President
Nirmal Panwar

Secretary
Sandeep Bakshi

Treasurer
Ashok Kumar Gadiya

दिनांक: 17.08.2018

माननीया मुख्यमंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार,
जयपुर

विषयः- निजी विश्वविद्यालयों की समस्याओं के समाधान बाबत् अनुरोध।

महोदया,

राज्य में उच्च, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में राजस्थान में 46 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं जो ऐसे दूर दराज के स्थानों पर उच्च तकनीकी एंव व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं जहाँ सीनियर सैकेण्ड्री स्तर की शिक्षा भी उपलब्ध नही है। निजी विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसे तकनीकी, व्यावसायिक एवं रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है जो राज्य में स्थापित राजकीय विश्वविद्यालयों में भी संचालित नहीं है। इस तरह राज्य में स्थापित स्व-वित्त पोषित निजी विश्वविद्यालय उच्च, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

ऐसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाईनेसिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान माननीया मुख्यमंत्री महोदया का अभिनन्दन करती है तथा उनके कुशल नेतृत्व में राज्य की खुशहाली की कामना करती है तथा ईश्वर से कामना करती है राजस्थान राज्य आपके कुशल नेतृत्व में विकास की बुलन्दियों पर पहुँचकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनायेगा।

ऐसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाईनेसिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की निम्नांकित समस्याओं/प्रकरणों की ओर ध्यान आकर्षित कर उनके निराकरण का अनुरोध करती है:-

1. राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बी.एस.सी. कृषि (आनर्स) पाठ्यक्रम हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 18.1.2018 (संलग्नक-1) के निम्न बिन्दुओं पर समाधान प्रदान करना:

(i). **<u>एक सत्र में अधिकतम 120 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना</u>**

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 18.1.2018 (संलग्नक-1) के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार बी.एस.सी. पाठ्यक्रम में केवल 120 विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने बाबत् निर्देश प्रदान दिये गये हैं।

इस संबंध में अनुरोध है कि विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल विश्वविद्यालय में उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि की उपलब्धता के आधार पर किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटें निर्धारित करती है। इस तरह राज्य सरकार द्वारा केवल मात्र 120 सीटों पर प्रवेश की बाध्यता का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अत: अनुरोध है कि उक्त 120 सीटों की बाध्यता समाप्त की जावे।

(ii). **<u>कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल जेट परीक्षा के माध्यम से दिया जाना</u>**

राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार कृषि पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल जेट परीक्षा, जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ ऐग्रीकल्चर एवं टैक्नोलोजी, उदयपुर संचालित कर रही है, के द्वारा ही दिये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है।

इस संबंध में निवेदन है कि राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों की धारा 32(2) में निजी विश्वविद्यालयों को अधिकृत किया हुआ है कि वे तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश केन्द्र/ राज्य सरकार की ऐजेन्सी द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के द्वारा अथवा निजी विश्वविद्यालयों की ऐसासिएशन द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम (C.E.T) से किये जावें।

निजी विश्वविद्यालयों को तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऐसोसिएशन द्वारा दिनांक 3.6.2018 को अयोजित CET (Combined Entrance Test) के द्वारा किये जा चुके हैं। केवल कृषि पाठयक्रमों में प्रवेश जेट के माध्यम से ही किया जाना ही उचित

नहीं होगा। अतः महोदया से अनुरोध है कि केवल जेट परीक्षा के माध्यम से प्रवेश की बाध्यता को समाप्त किया जावे।

(iii). **<u>दिशा निर्देश जारी होने से पूर्व निजी विश्वविद्यालयों में 120 विद्यार्थियों से अधिक दिये गये प्रवेश का 50 प्रतिशत शुल्क राजकोष में जमा कराना</u>**

उक्त दिशा निर्देशों के बिन्दु 16 के अनुसार दिशा निर्देश दिनांक 18.1.2018 जारी होने से पूर्व निजी विश्वविद्यालयों में यदि 120 विद्यार्थियों से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है तो 120 विद्यार्थियों से अधिक प्रवेशित विद्यार्थियों की सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान लिये जाने वाले शुल्क का 50 प्रतिशत राजकोष में जमा कराने का प्रावधान किया हुआ है।

इस सम्बन्ध में लेख है कि उक्त प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि इसे पूर्वप्रभावी तिथि से लागू करने का प्रावधान है, जिसे समाप्त किये जाने का अनुरोध है।

(iv). **<u>बी.एस.सी. कृषि पाठ्यक्रम में केवल राजस्थान राज्य के विद्यार्थियों को ही जेट परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाना</u>**

महाराणा कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली जेट परीक्षा में केवल राजस्थान राज्य के विद्यार्थी ही प्रवेश ले सकते हैं।

इस संबंध में निवेदन है कि विश्वविद्यालय का सार्वभौमिक स्वरूप होता है तथा वे क्षेत्र, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेद नहीं कर सकते है। निजी विश्वविद्यालय में केवल अन्य राज्यों के विद्यार्थी ही प्रवेश लेने हेतु नहीं आते बल्कि विदेशी छात्र भी कई देशों से अध्ययन करने आते हैं। इस तरह बी.एस.सी. कृषि पाठ्यक्रम में केवल राजस्थान राज्य के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाना उचित नहीं है।

अतः माननीया मुख्यमंत्री महोदया से अनुरोध है कि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बी.एस.सी. कृषि पाठ्यक्रम हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 18.1.2018 (संलग्नक-1) पर पुनः विचार कर का अनुरोध है।

2. **निजी विश्वविद्यालयों में प्रयुक्त चेयरपर्सन एवं प्रेसीडेंट पदनामों को चाँसलर व वाईस-चाँसलर परिवर्तित करना**

पूर्व में स्थापित 13 निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में विश्वविद्यालय अधिकारियों में चाँसलर एवं वाईस-चाँसलर पदनाम दिये गये थे। किन्तु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 में अध्यादेश के माध्यम से उक्त पदनामों को 'चाँसलर' के स्थान पर 'चेयरपर्सन' एवं 'वाईस-चाँसलर' के स्थान पर 'प्रसीडेंट' परिवर्तित कर दिया गया है।

इस संबंध में निवेदन है कि यूनिवर्सिटीज सिस्टम में प्रारम्भ से ही चाँसलर एवं वाईस चाँसलर पदनाम प्रचलन में है तथा देश के अन्य राज्यों तथा विदेशी विश्वविद्यालयो में भी यही पदनाम प्रचलित है। निजी विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण एवं डिग्री लेकर अन्य राज्यों अथवा विदेशों में नौकरी/उच्च अध्ययन हेतु जाने वाले विद्यार्थियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ उक्त पदनाम प्रचलन में नहीं होने के कारण राज्य की डिग्रीयों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) में भी 'चाँसलर' एवं 'वाईस-चाँसलर' के पदनाम प्रचलित है तथा UGC 'चाँसलर' एवं 'वाईस-चाँसलर' के पदनामों को ही मान्य करती है। (copy of U.G.C letter enclosed)

अत: विश्वविद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले पदनामों में एकरूपता लाने के लिए माननीया से अनुरोध है कि निजी विश्वविद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले 'चेयरपर्सन' एवं 'प्रसिडेन्ट' पदनामों को परिवर्तित करके 'चाँसलर' एवं 'वाईस-चाँसलर' करने का पुन: आग्रह है।

3. निजी विश्वविधालयों को नगरीय कर (म्यूनिसिपल टैक्स) वसूली से छूट प्रदान किया जाना

निजी विश्वविद्यालय राज्य एवं देश/विदेश से आने वाले विधार्थियों को उच्चस्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर राज्य के चहुँमुखी विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ये निजी विश्वविद्यालय स्ववित्त-पोषित है तथा राज्य/केन्द्र सरकार से इन्हें कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती हैं। अत: इन्हें वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु नगरीय कर से छूट प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है।

4. राज्य सरकार की नगरीय बस सेवा का विस्तार निजी विश्वविद्यालयों तक किया जाना।

कई निजी विश्वविद्यालय ऐसे स्थानों पर स्थापित हैं जहाँ राज्य सरकार द्वारा संचालित नगरीय बस सेवा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण विधार्थियों को आवागमन में अत्यधिक परेशानी होती है। निजी ट्रॉसपोर्टर्स की अपर्याप्त बसों में छात्र/छात्राओं को आने में बहुत असुविधा होती है। अत: ऐसे विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा संचालित नगरीय बस सेवा से जोड़कर विधार्थियों को असुविधा से छुटकारा प्राप्त हो सकेगा।

5. निजी विश्वविद्यालयों को जीएसटी के दायरे से छूट/रियायत प्रदान किया जाना।

जिस तरह स्कूल शिक्षा को जीएसटी से छूट प्रदान की हुयी है उसी तरह निजी विश्वविद्यालयों को भी जीएसटी से छूट प्रदान किया जाना उचित होगा, क्योंकि ये स्ववित्त पोषित संस्थान है तथा इन्हें राज्य/केन्द्र सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। जीएसटी से छूट/रियायत प्रदान करने पर इनको आर्थिक रूप से कुछ मदद मिल सकेगी।

6. निजी शैक्षणिक संस्थानों में बिजली एवं पानी आदि के बिलों में लगाये जाने वाले एज्यूकेशन सैस से छूट प्रदान किया जाना।

राज्य सरकार द्वारा बिजली एवं पानी आदि के बिलों में एज्यूकेशन सैस जोड़ा जाकर बिल की वसूली का प्रावधान है। एज्यूकेशन सैस शैक्षणिक संस्थानों के विकास हेतु लागू किया गया है। निजी शैक्षणिक संस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिना कोई आर्थिक अनुदान प्राप्त किये अपना योगदान दे रहे हैं। अत: इनको बिजली/पानी के बिलों पर लगाये जाने वाले एज्यूकेशन सैस से छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध है।

7. निजी विश्वविद्यालयों में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।

निजी विश्वविद्यालय शोध एवं अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तथा इन्फ्रास्ट्रकचर, लेबोरेटरी तथा उपकरणों हेतु इन्हें कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। इनके द्वारा किये गये शोध एवं अनुसंधान के द्वारा समाज, राज्य एवं देश को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अत: शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान किये जाने का भी अनुरोध है।

अतः माननीया मुख्यमंत्री महोदया से अनुरोध है कि निजी विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करेंगी एवं चर्चा हेतु समय प्रदान कर सूचित करवाने का श्रम करेंगी, जिससे एसोसिएशन के पदाधिकारी उक्त बिन्दुओं के सबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें।

सादर

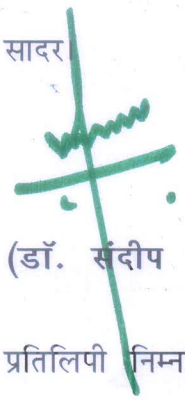

(डॉ. संदीप बक्शी)

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. श्रीमान् डी.बी. गुप्ता (IAS), मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् तनमय कुमार (IAS), प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।